समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 30.12.2013 को आयोजित जिला स्तरीय
<u>पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय</u>

क्र0	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव बनाम राज्य में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, इस मामले की संचिका अनुमोदन हेतु भेजी गयी है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया। एम0जे0सी0 त्रिवेणी मुखिया बनाम राज्य, जो पी0डी0एस0 डीलर से संबंधित है, में तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनार्थ भेजी गई है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया। एम0जे0सी0 मो0 इसरारूल हक बनाम राज्य, जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित मामला है, इस मामले में भी तथ्य विवरणी तैयार कर ली गयी है एवं आज इसे अनुमोदनार्थ भेजा जायेगा। इस मामले में शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया। एम0जे0सी0 महेश कुमार मंडल बनाम राज्य जो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित है, में इस सप्ताह में तथ्य विवरणी तैयार करवाते हुये कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया। एम0जे0सी0 महरानी अधिरानी काम सुन्दरी बनाम राज्य सरकार, जो श्यामा मंदिर न्यास समिति के संबंधित है, के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी अनुमोदित हो चुका है। इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश उन्हें दिया गया। एम0जे0सी0 सीता देवी बनाम राज्य के मामले की सुनवाई 15.01.14 को निर्धारित है। इसके पूर्व याचिकाकर्त्ता को पूरा भुगतान करना है। यह मामला प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हायाघाट से संबंधित है। सेवा अवधि विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से सम्पर्क कर निर्देश प्राप्त करने का निदेश स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया। स्थाना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इसके लिये एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है, उन्हें मामले में शीध्रता बरतने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य के मामले की सुनवाई दिनांक 8.1.14 को निर्धारित है। इस मामले में दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार किया गया है। सी0डब्लू0जे0सी0 गुड्डू बाबा बनाम राज्य में अगली सुनवाई 06 जनवरी को निर्धारित है। इस बीच डी0एम0सी0एच0 परिसर के अवशेष अतिक्रमण को हटाने तथा इस संबंध में प्रमाण–पत्र समर्पित करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर बनाम राज्य सरकार का मामला जो केवटी के पिण्डारूच में मंदिर की जमीन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पथ निर्माण कराये जाने से संबंधित है, के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–2 द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्य रोक दिया गया है तथा मंदिर के जमीन के सीमांकन हेतु अंचलाधिकारी, केवटी से पत्राचार किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपने कनीय अभियंता को अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर सीमांकन करवाने का निदेश दें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/ /जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–2/ स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा